लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल – 462021
दूरभाष 0755–2583650 फैक्स 0755–2583651
ई–मेल dpimp@sancharnet.in

:: आदेश ::

भोपाल,दिनांक 14/07/09

क्रमांक/स्था–1/राज/पी/72/2009/957 : संचालनालय के आदेश क्रमांक/स्था–1/राज/बी/21/2007/417–18, दिनांक 02.04.2007, क्रमांक/1653–54, दिनांक 24.12.07, क्रमांक/1655–56, दिनांक 24.12.07, क्रमांक/स्था–1/राज/बी/194/2008/1019–20, दिनांक 14.08.2008 एवं क्रमांक/ 1136–37 दिनांक 03.09.2008 द्वारा व्याख्याता संवर्ग से प्राचार्य हाईस्कूल पद पर पदोन्नत प्राचार्य जिनके द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया था, ऐसे पदोन्नत हाईस्कूल प्राचार्य के लिए संचालनालय द्वारा दिनांक 30 जून 2009 तक कार्यभार ग्रहण करने हेतु की गई समयवृद्धि के क्रम में निम्नांकित व्याख्याताओं को प्राचार्य हाईस्कूल पद पर पदोन्नति पश्चात पदांकित संस्था में आंशिक संशोधन कर उनके नाम के सम्मुख कालम क्रमांक 06 में अंकित संस्था में प्राचार्य हाईस्कूल के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु दिनांक **17.07.2009** तक की अनुमति प्रदान की जाती है :–

स. क्रं.	नाम	यूनिक आई.डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकित संस्था/जिले का नाम	संस्था / जिले का डाईस कोड
1	2	3	4	5	6
1	श्री आर.एस. जादौन	AK 8920	शा. पदमा उमावि. ग्वालियर	शा. हाईस्कूल टिकटौली गुर्जर मुरैना	23020466606
2	श्रीमती वीणा अरोरा	AK 8601	शा. क. उमावि. शिंदे की छावनी ग्वालियर	शा. हाईस्कूल हथनौरा ग्वालियर	23040166615
3	श्री मानक चंद पटाक	BH 1574	शा. उमावि. सुंद्रेल देवास	शा. हाईस्कूल कलवार देवास	23239866617
4	श्री सैयद एजाज हुसैन	AA 3371	शा. नवीन उमावि. फंदा भोपाल	शा. हाईस्कूल सिलखेडा सीहोर	23339966612
5	श्री हिमलेश ओमरे	AB 4090	डाइट जबलपुर	शा. हाईस्कूल देवगढ छिंदवाडा	23430288815
6	श्री मनोज कुमार गुहा	BJ 8549	जिला संसाधन केन्द्र हरदा	शा. हाईस्कूल रहटकलां हरदा	23360366612
7	श्रीमती प्रभा किरण	AB 8419	शा. शिक्षा मनोविज्ञान एवं संदर्शन महाविद्यालय जबलपुर	शा. हाईस्कूल बिलगुआं नरसिंहपुर	23400666609

8	श्री सतीश तिवारी	AB 4086	डाइट जबलपुर	शा. हाईस्कूल बीजामोरा छिंदवाड़ा	23430288816
9	श्रीमती मंगला राशिनकर	AA 3062	शा. क. उमावि. तुलसी नगर भोपाल	शा. हाईस्कूल बलोडिया सीहोर	23339966621
10	श्री राजीव कुमार जैन	AM 6025	शा. नूतन उमावि. इंदौर	शा. हाईस्कूल हसनपुरा बुरहानपुर	23480266618
11	श्री ए.के. दुबे	AB9110	शा. शिक्षा महाविद्यालय जबलपुर	शा. हाईस्कूल बिलथारी नरसिंहपुर	23400666612
12	श्री ए.के. रिजवानी	AV 6344	शा. उमावि. गुढुवा सतना	शा. हाईस्कूल पोंडी बरीगवां सिंगरौली	23170399901
13	श्री आर.के. पाण्डे	AM 8609	शा. सिंधी उमावि. इंदौर	शा. हाईस्कूल जसौदी बुरहानपुर	23480266612
14	श्री अरविंद जैन	AX 8526	शा. एम.एल.बी. क. उमावि. क. 1 सागर	शा. हाईस्कूल हीरापुर सागर	23110366605
15	श्री वासुदेव धनवानी	AB 2391	शा. उमावि. दोराहा सीहोर	शा. हाईस्कूल जसमत सीहोर	23339966624
16	श्री अनिल कुमार	AF 8863	शा. शिक्षा महाविद्यालय छतरपुर	शा. क. हाईस्कूल बकस्वाहा छतरपुर	23090266604
17	श्री एस.बी. सिंह	AV 4158	शा. उमावि. व्यंकट क. 1 रीवा	शा. हाईस्कूल तमई सीधी	23179966645
18	श्रीमती रेखा मुले	AK 9712	शा. उत्कृष्ट उमावि. मुरार क. 1 ग्वालियर	शा. हाईस्कूल नुनहटा भिण्ड	23030466608
19	श्री के.सी. कुमावत	AM 5893	शा. नूतन उमावि. इंदौर	शा. हाईस्कूल खातला बुरहानपुर	23480266609
20	श्री आर.के. प्रजापति	AY 1387	शा. बा. उमावि. अमानगंज पन्ना	शा. हाईस्कूल जवासिया कुमार उज्जैन	23210566617

2) हाईस्कूल प्राचार्यों की वरिष्ठता इस आदेश के गुणानुक्रम ही वरिष्ठता क्रम रहेगा। संचालनालय के आदेश क्रमांक/स्था–1/राज/बी/21/7/417–18 दिनांक 02.04.2007, क्रमांक/ 1653–54, दिनांक 24.12.07, क्रमांक/ 1655–56, दिनांक 24.12.07, द्वारा पदोन्नत ऐसे प्राचार्य जिनको इस आदेश द्वारा कार्यभार ग्रहण की अनुमति दी गई है की वरिष्ठता दिनांक 14.8.08 से तथा आदेश क्रमांक/ स्था–1/राज/बी/194/2008/1019–20 दिनांक 14.08.2008 एवं क्रमांक/ 1136–37 दिनांक 03.09.2008 द्वारा पदोन्नत प्राचार्य हाईस्कूल की वरिष्ठता तिथि वृद्धि के पूर्व आदेश दिनांक 27.01.09 से व्याख्याता के वरिष्ठतानुसार निर्धारित होगी।

3) आदेश में निम्न अवधि तक के व्याख्याताओं को पदोन्नत किया गया है :–

		वरिष्ठता दिनांक
1.	सामान्य प्रवर्ग	14.03.1990
2.	अनुसूचित जाति प्रवर्ग	27.12.2003
3.	अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग	27.12.2003

उक्त दिनांक पश्चात के व्याख्याता यदि पदोन्नति आदेश में अंकित हो तो उन्हें कार्यभार ग्रहण न कराते हुए इस कार्यालय को सूचित किया जाए । इस संबंध में म.प्र. शासन, सामान्य विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–7–18/05/आ.प्र./एक दिनांक 05.08.05 का पालन सुनिश्चित करें ।

4) पदोन्नति उपरान्त **पदांकन संस्था हेतु भारमुक्त/उपस्थिति मान्य करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावें कि प्राचार्य पद पर जो व्याख्याता पदोन्नत हो रहे हैं , वे उक्त उल्लेखित तिथियों के बाद के न हों** या **उनके विरूद्ध किसी प्रकार के अपराधिक प्रकरण / जांच / अनुशासनात्मक कार्यवाही न हो** या **ऐसी शास्ति न हो जो उनकी पदोन्नति में बाधक हो**। ऐसी स्थिति पाये जाने पर उन्हें **भारमुक्त/उपस्थित न किया जाकर** संचालनालय को दिनांक **31.07.2009** तक अवगत करावें । इस कार्यवाही हेतु संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी होंगें ।

5) जिन व्याख्याताओं की पदोन्नति उपरांत पदस्थापना की गई है । उन व्याख्याताओं के आदेश मिलते ही सेवाअभिलेख का मिलान कर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा भारमुक्त किया जायें । नव पदोन्नत प्राचार्य दिनांक **21.07.2009** तक पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करेंगें । जिसकी सूचना जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक **31.07.2009** तक संचालनालय को प्रेषित की जाएगी । निर्धारित दिनांक **21.07.2009** तक पदांकित संस्था में यदि व्याख्याता द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो कर्त्तव्य का अपालन मानते हुए उसके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा आचरण (अपील वर्गीकरण नियंत्रण नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी ।

6) जिन **हाईस्कूलों** में प्राचार्य पद पर प्रभारी के रूप में अन्य संस्थाओं से पदस्थ है । वे अपनी उपस्थिति पूर्व कार्यरत संस्था में देंगें तथा जिन हाईस्कूलों में व्याख्याता स्थानांतरित होकर पदस्थ हैं वे नवपदोन्नत प्राचार्य के उपस्थित होने पर स्वमेव कार्यमुक्त मानें जावेंगें और वे अपनी उपस्थिति जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में देंगें । जिला शिक्षा अधिकारी ऐसे व्याख्याताओं का पदांकन प्रस्ताव विषयवार रिक्त पदों पर करने हेतु एकल नस्ती में दिनांक **31.07.2009** तक संचालनालय में प्रस्तुत करेंगें ।

7) *(अ)*पदोन्नत प्राचार्य द्वारा यदि पदोन्नति का परित्याग किया जाता है तो उसे 12 वर्ष बाद प्राप्त वरिष्ठ वेतनमान प्राप्त होता रहेगा परन्तु 24 वर्ष पश्चात मिलने वाली

क्रमोन्नति की सुविधा का लाभ सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ–1–1/ 1/वेआप्र/99 दिनांक 05 जुलाई 2002/23 सितंबर 2002 के प्रकाश में प्राप्त नहीं होगा ।

(ब) पदोन्नति का परित्याग मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम–2002 की कण्डिका 6(15) के अनुक्रम में पदोन्नत लोक सेवक को ऐसे मामलों में प्रथम पदोन्नति से इन्कार करने के दिनांक से 01 वर्ष की कालावधि के लिए या अगली रिक्ति की उद्‌भूत होने तक जो भी पश्चात्‌वर्ती हो पदोन्नति के लिए प्रस्तावित नहीं किया जायेगा ।

(स) पदोन्नति का परित्याग करने पर भी पदोन्नत व्याख्याता को पदांकित संस्था में ही प्राचार्य हाईस्कूल के रूप कार्यभार ग्रहण करना होगा । किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन नवीन पदस्थापना वाली संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत ही विचार किया जाएगा ।

8) जो व्याख्याता प्राचार्य, हाईस्कूल के पदोन्नति पद पर नहीं जाना चाहते हैं वे व्याख्याता लिखित में 02 प्रतियों में इस आशय की सूचना दिनांक **21.07.2009** तक अपने नवीन पदस्थापना वाले जिलें के जिला शिक्षा अधिकारी को देंगें । पदोन्नति परित्याग सूचना की 01 प्रति संचालनालय को भेजी जायेगी । सेवा पुस्तिका में इसका प्रमाणीकरण भी अंकित किया जायेगा कि संबंधित व्याख्याता ने पदोन्नति का परित्याग किया है । ततपश्चात जिला शिक्षा अधिकारी दिनांक **31.07.2009** तक ऐसे व्याख्याताओं की सूची संचालनालय को प्रस्तुत करेंगें ।

9) यदि जिले के कोई व्याख्याता पदोन्नति से छूट गये हैं तो ऐसे व्याख्याताओं से लिखित अभ्यावेदन जिला शिक्षा अधिकारी प्राप्त करेंगें तथा वांछित अभिलेख सहित संचालनालय को दिनांक **31.07.2009** तक तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगें ।

10) जिन व्याख्याताओं की पदोन्नति की गयी है यदि वे विधि सम्मत स्कूल शिक्षा विभाग का नहीं हैं तो उन्हें कार्यमुक्त न किया जायें और ना ही उसे पदोन्नति पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायें । उसकी लिखित सूचना पूर्ण तथ्यों सहित **31.07.2009** तक संचालनालय को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दी जायेगी । परन्तु यदि स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिवासी विकास विभाग के परस्पर स्थानान्तरित संस्थाओं के लिए म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र. एफ–44–27/94/20–2 दिनांक 03.01.2006 के अन्तर्गत विभाग में मूल वरिष्ठता सहित संविलियन किया गया है और पदोन्नत किया गया है, तो वह पदोन्नति का हकदार होगा तथा उसे कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा । आदिवासी विकास विभाग से शिक्षा विभाग में जिन व्याख्याताओं का संविलियन किया गया है । उनकी वरिष्ठता की पुष्टि उनके सेवाभिलेख एवं सुसंगत संविलियन आदेशों से कर ली जावें । विसंगति की स्थिति में विभाग को अवगत कराया जावें ।

11) पदोन्नत प्राचार्यो का वेतन निर्धारण वित्त विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुक्रम में विकल्प प्राप्त कर किया जावें ।

12) प्रमाणित किया जाता है कि म0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों और पिछडे वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्र–21 सन् 1994) तथा म.प्र. लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के उपबन्धों का और उक्त अधिनियमों तथा नियमों उपबन्धों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का पालन किया गया है तथा उसे अधिनियम की धारा (6) की उपधारा (1) के उपबन्धों का पूर्ण संज्ञान है ।

13) म0प्र0 लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियां रोस्टर पंजी में कर दी गई है।

(बी.आर.. नायडू)
आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृ0क्र./स्था–1/राज/पी/72/2009/...958 भोपाल, दिनांक 14/07/09

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, स्कूल शिक्षा म.प्र. शासन, भोपाल
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल
3. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, म.प्र. भोपाल
4. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर
5. संबंधित कलेक्टर जिला.. म.प्र.
6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत .... म.प्र.
7. संबंधित प्राचार्य, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय ....म.प्र.
8. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, जिला ....म.प्र.
9. संबंधित प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ....म.प्र.
10. संबंधित कोषालय अधिकारी जिला ....म.प्र. की ओर भेजकर लिखा जाता है कि आदेश में अंकित पदोन्नत अधिकारियों का अगस्त माह का वेतन पदोन्नति पूर्व संस्था से आहरित नहीं किया जाना है, उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।
11. सहायक संचालक, स्थापना–2 (स्थानीय)
12. संबंधित – प्राचार्य,
13. संबंधितजन –

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

आयुक्त लोक शिक्षण
मध्य प्रदेश